

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016—फाल्गुन 14, शक 1937

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2016

क्र. एफ-3-1-2014-सत्रह-मेडि-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

**"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)**

**वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या
समूह "क" चिकित्सा**

क.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	05	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 10000	
2	अपर संचालक संवर्ग - क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (07 पद)/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् (01 पद)/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ (01 पद),	09	-तदैव-	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900	
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल	01	-तदैव-	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700	
4	संयुक्त संचालक संवर्ग # -				इस संवर्ग में कुल 130 पद होंगे।
	(अ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	73	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रत्येक जिले हेतु 01 पद (कुल 51 पद), संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (01 पद)/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (03 पद) एवं संचालनालय/संभागीय कार्यालय हेतु संयुक्त संचालक के 18 पद, (कुल 73 पद)
	(ब) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	57	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु 01 पद (कुल 51 पद) एवं संचालनालय/संभागीय कार्यालय हेतु संयुक्त संचालक के 06 पद, (कुल 57 पद)

5	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	07	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	
6	जिला टीकाकरण अधिकारी	51	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	
7	जिला स्वास्थ्य अधिकारी 51/जिला परिवार कल्याण अधिकारी 48/प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी 313/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी 20	432	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	पूर्व में स्वीकृत सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (मुख्यालय 06) के 6 पद समर्पित
8	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय (07)/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01)	08	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	
9	विशेषज्ञ (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 5 प्रतिशत)	3160	-तदैव- -तदैव- -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900	(1) छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्ववत् आपात् कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय संचालक के पद भी सम्मिलित हैं।
10	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 5 प्रतिशत)	51	-तदैव- -तदैव- -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्ववत् आपात् कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
11	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	12	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	

12	उप संचालक	44	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	संचालनालय में उप संचालक के 20 पद मुख्यालय, प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 03 पद के मान से कुल 21 पद तथा जबलपुर, इन्दौर व ग्वालियर संभागीय कार्यालयों में न्यायालयीन कार्यों हेतु एक- एक अतिरिक्त पद (कुल 44 पद). इन पदों की पूर्ति ऊपर लिखित सरल क्रमांक 5 से 11 पर अंकित पदों पर कार्यरत अधिकारियों से की जाएगी।
13	चिकित्सा अधिकारी (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 2 प्रतिशत)	4838	द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
14	दंत शल्य चिकित्सक (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 2 प्रतिशत)	159	द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

टिप्पण - # (1) इस संशोधन के पूर्व से संयुक्त संचालक के पद पर विद्यमान अधिकारियों के पदोन्नत/सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की पूर्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से की जाएगी।

(2) संयुक्त संचालक पदनाम से संचालनालय में 10 पद एवं प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 2 पद के मान से 14 पद, इस प्रकार कुल 24 पद होंगे।

समूह "ख" -- गैर चिकित्सीय

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	1	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600
2	संयुक्त संचालक (योजना तथा प्रबंधन)	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग) / उप संचालक (जनसांख्यिकी)	2	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन) / उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य)	3	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
6	कीट विज्ञानी	5	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
7	मुख्य अभियंता (सिविल)	1	-तदैव-	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700
8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
9	सांख्यिकी अधिकारी	7	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
10	वित्त अधिकारी / लेखा अधिकारी / भण्डार अधिकारी	3	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
11	प्रशासकीय अधिकारी	118	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
12	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01 / संभागीय कार्यालय 07)	8	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
13	कोल्ड चैन अधिकारी	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
14	जिला मलेरिया अधिकारी (52) / जीव शास्त्री(3) / सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया) (1)	56	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
15	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी / प्रदर्शनी अधिकारी / संचार अधिकारी / स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी / स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक / समाज विज्ञान अनुदेशक	52	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
16	प्रचार अधिकारी / संपादक	1	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
17	सहायक यंत्री (परिवहन) / सहायक यंत्री (भण्डार)	2	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
18	समाज विज्ञानी	1	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
19	प्रबंध अनुदेशक	3	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
20	सहायक यंत्री (सिविल) (1 पद संचालनालय के लिये / 7 पद प्रत्येक संभागीय कार्यालय के लिये एक-एक पद)	8	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
21	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरापिस्ट)	10	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
22	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी	76	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 3600
23	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	1	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 3600
24	वरिष्ठ निज सहायक	4	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
25	महाप्रबंधक (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर)	1	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700

26	प्रबंधक (500 बिस्तर अथवा अधिक क्षमता वाले प्रत्येक जिला चिकित्सालय के लिये 01 पद)	4	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600
27	उप प्रबंधक, जिला चिकित्सालय (300 बिस्तर अथवा अधिक क्षमता वाले तथा 500 बिस्तर से कम प्रत्येक जिला चिकित्सालय के लिये 01 पद)	28	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
28	सहायक प्रबंधक (प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु 01 पद (कुल 51 पद) एवं सिविल अस्पताल (न्यूनतम 100 बिस्तर) प्रत्येक के लिये 01 पद (कुल पद 31))	82	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400

समूह "ग" - परिचर्या सेवाएं

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (परिचर्या)	1	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी (19) / जिला लोक स्वास्थ्य नर्स (51+7) / लोक स्वास्थ्य परिचर्या अनुदेशक (3)/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक (2)	82	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
4	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/ प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	13	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
5	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण केन्द्र (21)/वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर (2)/उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (11)	35	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
6	परिचर्या, अधीक्षक ग्रेड-2	43	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका
समूह "क" चिकित्सा

अनु.क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम-6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संचालक	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	05	-	100 %	-	-
2	अपर संचालक संवर्ग - क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (07 पद)/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् (01 पद)/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ (01 पद),	-तदैव-	09	-	100 %	-	-
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल	-तदैव-	01	-	100 %	-	-
4	संयुक्त संचालक संवर्ग - (अ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/ प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (ब) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	-तदैव-	73	-	100 %	-	-
5	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	-तदैव-	07	-	100 %	-	-
6	जिला टीकाकरण अधिकारी	-तदैव-	51	-	100 %	-	-
7	जिला स्वास्थ्य अधिकारी 51/ जिला परिवार कल्याण अधिकारी 48/प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी 313/ जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी 20	-तदैव-	432	-	100 %	-	-
8	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय (07)/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01)	-तदैव-	08	-	100 %	-	-
9	विशेषज्ञ	-तदैव-	3160	-	100 %	-	-
10	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	-तदैव-	51	-	100 %	-	-

11	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	--तदैव--	12	--	100 %	--	--
12	उप संचालक	--तदैव--	44	--	--	100 %	इन पदों की पूर्ति ऊपर लिखित सरल क्रमांक 5 से 11 पर अंकित पदों पर कार्यरत अधिकारियों से की जाएगी।
13	चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय श्रेणी	4838	100 %	--	--	--
14	दंत शल्य चिकित्सक	--तदैव--	159	100 %	--	--	--

समूह "ख" - गैर-चिकित्सीय

अनु.क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम-6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	1	---	100 %	--	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो यह पद जनसंपर्क विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
2	संयुक्त संचालक (योजना तथा प्रबंधन)	--तदैव--	1	---	100 %	--	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो यह पद वित्त विभाग (कोष एवं लेखा संचालनालय) से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	--तदैव--	1	---	100 %	--	--
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग) / उप संचालक (जनसांख्यिकी)	--तदैव--	2	---	100 %	--	--
5	उप संचालक (स्थापना एवं	--तदैव--	3	---	100 %	--	--

4	प्रशासन) / उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य)						
6	कीट विज्ञानी	--तदैव--	5	--	100 %	--	--
7	मुख्य अभियंता (सिविल)	--तदैव--	1	--	--	100 %	लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।
8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	--तदैव--	1	--	100 %	--	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
9	सांख्यिकी अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-- द्वितीय श्रेणी	7	25 %	75 %	--	--
10	वित्त अधिकारी / लेखा अधिकारी / भण्डार अधिकारी	--तदैव--	3	--	100 %	--	--
11	प्रशासकीय अधिकारी	--तदैव--	118	25 %	75 %	--	--
12	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01 / संभागीय कार्यालय 07)	--तदैव--	8	--	--	100 %	मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों से,
13	कोल्ड चैन अधिकारी	--तदैव--	1	100 %	--	--	--
14	जिला मलेरिया अधिकारी (52) / जीव शास्त्री (3) / सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया) (1)	--तदैव--	56	25 %	75 %	--	--
15	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी / प्रदर्शनी अधिकारी / संचार अधिकारी / स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी / स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक / समाज विज्ञान अनुदेशक	--तदैव--	52	20 %	80 %	--	--
16	प्रचार अधिकारी / संपादक	--तदैव--	1	--	100 %	--	--
17	सहायक यंत्री (परिवहन) / सहायक यंत्री (भण्डार)	--तदैव--	2	--	100 %	--	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

							के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
18	समाज विज्ञानी	--तदैव--	1	---	100 %	--	--
19	प्रबंध अनुदेशक	--तदैव--	3	100 %	--	--	--
20	सहायक यंत्री (सिविल)	--तदैव--	8	---	100 %	--	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
21	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरापिस्ट)	--तदैव--	10	---	100 %	--	प्रत्येक जिला चिकित्सालय (400 बिस्तर अथवा उससे अधिक क्षमता) के लिये 01 पद
22	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी	--तदैव--	76	--	100 %	--	--
23	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	--तदैव--	1	---	100 %	--	--
24	वरिष्ठ निज सहायक	--तदैव--	4	---	100 %	--	--
25	महाप्रबंधक	प्रथम श्रेणी	1	--	100 %	--	--
26	प्रबंधक	--तदैव--	4	---	100 %	--	--
27	उप प्रबंधक	--तदैव--	28	--	75 %	25 %	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जा चुका हो तथा लोक स्वास्थ्य और प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन / प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि / पत्रोपाधि धारित करते हों, प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
28	सहायक प्रबंधक	द्वितीय श्रेणी	82	75 %	--	25 %	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य और प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि / पत्रोपाधि धारित करते हों, प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु.क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम-6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (परिचर्या)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	01	---	100 %	---	---
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	-तदैव-	01	---	100 %	---	---
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी (19) / जिला लोक स्वास्थ्य नर्स (51+7) / लोक स्वास्थ्य परिचर्या अनुदेशक (3) / लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक (2)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय श्रेणी	82	25 %	75 %	---	---
4	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01) / प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	-तदैव-	13	---	100 %	---	---
5	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1) / प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण केन्द्र (21) / वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर (2) / उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (11)	-तदैव-	35	---	100 %	---	---
6	परिचर्या, अधीक्षक ग्रेड-दो	-तदैव-	43	---	100 %	---	---

**अनुसूची --तीन
(नियम 8 देखिए)**

**सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता
समूह "क" चिकित्सा**

अनु. क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता.	
2.	दन्त शल्य चिकित्सक	21 वर्ष	40 वर्ष	बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई समतुल्य उपाधि.	

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु. क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.ए. (सांख्यिकी), पी.एच.डी. की अधिमान्यता/स्वास्थ्य सांख्यिकी में डिप्लोमा सहित.	
2.	प्रशासकीय अधिकारी	25 वर्ष	40 वर्ष	पांच वर्ष के पर्यवेक्षी अनुभव सहित स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षण (एस.ए. एस.) में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा.	
3.	कोल्ड चैन अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	मेकेनिकल अथवा रेफीजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि एक वर्ष का कार्यानुभव सहित अथवा प्रशीतन यांत्रिकी में, उपस्कर के अनुरक्षण तथा प्रशीतन प्रचालन में डिप्लोमा	
4.	जिला मलेरिया अधिकारी/जीव शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र), एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र) के साथ कीट विज्ञान को अधिमान दिया जायेगा.	
5.	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक /समाज विज्ञान अनुदेशक	21 वर्ष	40 वर्ष	स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अधिमानता के साथ समाज शास्त्र में एम.ए./भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा	
6.	प्रबंधन अनुदेशक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन/व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि, अध्यापन तथा पर्यवेक्षी, कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा.	
7.	सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन/प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि.	

समूह "ग" परिचर्या सेवार्ये

अनु- कर्यांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक	28 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. (परिचर्या) अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लोक स्वास्थ्य परिचर्या का प्रमाण पत्र परिचर्या सेवा में का दस वर्ष का अनुभव,	

अनुसूची--चार

(नियम 13 तथा देखिए)

पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

समूह "क" चिकित्सा

अनु- कर्यांक	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हो, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये /संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् /अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ	संचालक	तीन वर्ष	1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत शासन का प्रमुख सचिव - सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 4. अपर सचिव/उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक / संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर / प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये /संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् /अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा अयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवार्ये - सदस्य

3	जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार कल्याण अधिकारी / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल / जिला टीकाकरण अधिकारी / कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर / प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (25 प्रतिशत पद विशेषज्ञ की पदोन्नति से, शेष 75 प्रतिशत पद अनुक्रमांक 3 के कॉलम (2) में दर्शित अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से)	पाँच वर्ष	-तदैव-
4	विशेषज्ञ	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	5 वर्ष	-तदैव-
5	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	कुष्ठ कार्य में 6 वर्ष का अनुभव	-तदैव-
6	चिकित्सा अधिकारी	जिला टीकाकरण अधिकारी	शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर उपाधि के उपरांत पांच वर्ष अथवा शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में डिप्लोमा के बाद सात वर्ष का अनुभव	-तदैव-
7	चिकित्सा अधिकारी	जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार कल्याण अधिकारी / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी	दस वर्ष	-तदैव-
8	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	वक्ष रोग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा क्षय रोग तथा वक्ष रोग में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव	-तदैव-

9	चिकित्सा अधिकारी	विशेषज्ञ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव अथवा विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव,	-तदैव-
10	दन्त शल्य चिकित्सक	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	स्नातकोत्तर उपाधि (एम. डी.एस.) प्राप्त करने के बाद दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में दस वर्ष का अनुभव,	-तदैव-
11	चिकित्सा अधिकारी	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	कुष्ठ कार्य में 6 वर्ष का अनुभव	-तदैव-

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु. क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हो, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप संचालक, (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	संयुक्त संचालक (जनसंपर्क, शिक्षा तथा माध्यम),	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य
2.	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच)/ उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)/ उप	संयुक्त संचालक (योजना एवं प्रबंधन)	पाँच वर्ष	तदैव

	संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मानिटिरिंग)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी)			
3.	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	5 वर्ष	तदैव
4.	सांख्यिकी अधिकारी	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मानिटिरिंग)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी)	5 वर्ष	तदैव
5.	प्रशासकीय अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)	5 वर्ष	तदैव
6.	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव-शास्त्री/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	कीट विज्ञानी	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं- सदस्य
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	सांख्यिकी अधिकारी	पाँच वर्ष	तदैव
8.	वरिष्ठ निज सहायक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित सेवा) / भण्डार निरीक्षण अधिकारी / अधीक्षक / कनिष्ठ लेखा अधिकारी / वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय) / सहायक अधीक्षक / सहायक ग्रेड-1 (संचालनालय) / वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / कनिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / प्रबंधक, चिकित्सा भण्डार / केंद्र-समन्वयक / सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्रशासकीय अधिकारी/ वित्त अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	1. भण्डार निरीक्षण अधिकारी/ अधीक्षक/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव 2. सहायक अधीक्षक/ वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय) / सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव 3. सहायक ग्रेड-1/ वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / प्रबंधक	तदैव

			<p>चिकित्सा भण्डार/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक (संचालनालय) केम्प-समन्वयक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव</p> <p>4. वरिष्ठ निज सहायक के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव</p> <p>टीप- प्रशासकीय अधिकारी के 5 पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे तथा 1 पद वरिष्ठ निज सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएगा।</p>	
9.	सहायक मलेरिया अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव शास्त्री/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	5 वर्ष (विज्ञान में स्नातक)	तदैव
10.	<p>(1) उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)</p> <p>(2) सहायक सांख्यिकी अधिकारी</p>	<p>जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक</p> <p>टीप- जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक के 5 पद ऐसे सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे जो समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि धारी है.</p>	5 वर्ष	
11.	प्रचार सहायक/ उप संपादक (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्रचार अधिकारी/संपादक	5 वर्ष	तदैव
12.	उप यंत्री (यांत्रिकी) (तृतीय श्रेणी सेवा)	सहायक यंत्री (परिवहन)/ सहायक यंत्री (भण्डार)	पाँच वर्ष	तदैव
13.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी सेवा)	समाज विज्ञानी	पाँच वर्ष	तदैव

14.	भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट) तृतीय श्रेणी	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट)	1. भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट) के पद पर 5 वर्ष की सेवा 2. भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) (बी. पी.टी.) 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन.	तदैव
15.	खण्ड विस्तार शिक्षक/ स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)	छै: वर्ष	तदैव
16.	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	5 वर्ष	तदैव
17.	सहायक यंत्री (सिविल)	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	छै: वर्ष	तदैव
18.	उप यंत्री (सिविल)	सहायक यंत्री (सिविल)	(1) आठ वर्ष - (उपाधिधारक के लिये) (2) बारह वर्ष - (डिप्लोमाधारक के लिये)	तदैव
19.	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	पांच वर्ष	1. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं - सदस्य 3. संचालक - सदस्य
20.	प्रबंधक	महाप्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, प्रबंधक के पद पर	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं - सदस्य

21.	उप प्रबंधक	प्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, उप प्रबंधक के पद पर	-तदैव-
22.	सहायक प्रबंधक	उप प्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, सहायक प्रबंधक के पद पर	-तदैव-

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु. क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं, यदि कोई हो तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक/ प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या)/ प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या) के पद के लिये कॉलम (2) में दर्शाए गये किसी भी पद पर पाँच वर्ष का अनुभव, प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन के पद के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त बी.एस.सी. (परिचर्या) की उपाधि परिचर्या में स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमान दिया जावेगा,	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं - सदस्य
2.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/ परिचर्या अधीक्षक-ग्रेड-2/ प्राचार्य, एल.एच. व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर / प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	बी.एस.सी. (परिचर्या) अथवा लोक स्वास्थ्य (परिचर्या) डिप्लोमा तथा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव,	तदैव
3.	(क) वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/ प्राचार्य, एल एच व्ही प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (द्वितीय श्रेणी सेवा) (ख) लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर)/ सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक,	1. बी.एस.सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा 2. वरिष्ठ सिस्टर	तदैव

			<p>ट्यूटर/ प्राचार्य प्रोन्नत शाला, / प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव</p> <p>3. लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) / सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए पाँच वर्ष का अनुभव,</p>	
4.	सिस्टर ट्यूटर/लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,	5 वर्ष का अनुभव केवल वे लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) / सिस्टर ट्यूटर, पात्र होगी जो बी.एस.सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा धारण करती हो.	तदेव
5.	मेट्रन	परिचर्या अधीक्षक-ग्रेड-दो	5 वर्ष	तदेव
6.	सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर	पाँच वर्ष	तदेव

Bhopal, the 4th March 2016

F No. 3-1/2014/17/ Medi-1 :- In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

(See rule 5)

Classification, Pay Scale, Number of Posts included in the Service
Group "A" Medical

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director	5	Class I	P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 10000	-
2.	Additional Director Cadre - Regional Director, Health Service (07 posts)/ Director, State Blood Transfusion Council (01 post)/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS) (01 post)	9	-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 8900	-
3.	Director, State Health Information, Education and Communication Bureau, Bhopal	1	-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700	-
4.	Joint Director Cadre - (A) Chief Medical and Health Officer/ Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior/ Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre.	73	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 7600	There shall be total 130 posts in this group (One post of Chief Medical and Health Officer for each District (Total 51 posts), Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior (01 post) / Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre (03 posts) and Joint Director (18 posts) for Directorate / Divisional Office (Total 73 posts).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(B) Civil Surgeon cum Chief Superitendent, District Hospital	57	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 7600	One post of Civil Surgeon cum Chief Superitendent District Hospital for each District Hospital (Total 51 posts) and Joint Director (06 posts) for Directorate / Divisional Offices (Total 57 posts).
5.	Leprosy Officer Grade-1	07	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	-
6.	District Immunisation Officer	51	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	-
7.	District Health Officer (51) / District Family Planning Officer (48) / Chief Block Medical Officer (313) / District Health and Epidemic Control Officer (20)	432	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	Existing post of Assistant Director, Health Services (Head Quarter 06 post) surrender
8.	Superintendent, Tuberculosis Hospital - (07) / Director, Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal - (01)	8	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	-
9.	Specialists (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale) (c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale) (d) Senior Selection Grade Scale (5 % of total posts after completing 6 years service in Selection Grade Scale)	3160	-Do- -Do- -Do- -Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600 P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700 P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8900	(1) On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but here shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Emergency duties as well. (2) Posts of Regional Director are also included in sanctioned posts of Senior selection Grade.
10.	Dental Specialist (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale) (c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale) (d) Senior Selection Grade Scale (5 % of total posts after completing 6 years service in Selection Grade Scale)	51	-Do- -Do- -Do- -Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600 P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700 P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8900	On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.
11.	Leprosy Officer Grade-2	12	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600	---
12.	Deputy Director	44	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600	Twenty posts for Directorate, Three posts for each Divisional Office Total - 21 posts and one additional post for Jabalpur, Indore and Gwalior for legal cases. (Total 44 posts) These posts shall be filled by officers working on posts mentioned at serial number 5 to 11.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Medical Officer (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale) (c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale) (d) Senior Selection Grade Scale (2 % of total post after completing 6 years service in Selection Grade Scale)	4838	Class - II Class - I -Do- -Do-	P.B.-3 (15600- 39100)+Grade Pay 5400 P.B.-3 (15600- 39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600- 39100)+Grade Pay 7600 P.B.-4 (37400- 67000)+Grade Pay 8700	On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.
14.	Dental Surgeon (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale) (c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale) (d) Senior Selection Grade Scale (2 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)	159	Class - II Class - I -Do- -Do-	P.B.-3 (15600- 39100)+Grade Pay 5400 P.B.-3 (15600- 39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600- 39100)+Grade Pay 7600 P.B.-4 (37400- 67000)+Grade Pay 8700	On the recommendation of Screening Committee after completing 6 years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.

- Note - 1. After promotion/retirement of officers presently working on posts of Joint Directors, before this amendment), posts vacated thereby shall be filled up by the Chief Medical and Health Officer and Civil Surgeon cum Chief Superintendent, District Hospital.
2. 10 posts of Joint Director shall be in the Directorate and 2 posts of Joint Director shall be in each Divisional Office (total 14 posts), thus there shall be total 24 posts of Joint Director.

Group - "B" - Non Medical

S. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joint Director (Mass Education and Media)	1	Class I	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600
2.	Joint Director (Planning and Management)	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600
3.	Deputy Director (Health Education Bureau)	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
4.	Deputy Director (Planning, Evaluation and Monitoring) / Deputy Director (Demography)	2	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
5.	Deputy Director (Establishment and Administration) / Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry) / Deputy Director (Law and Legal works)	3	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
6.	Entomologist	5	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
7.	Chief Engineer (Civil)	1	-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700
8.	Executive Engineer (Civil)	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
9.	Statistical Officer	7	Class - II	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
10.	Finance Officer / Accounts Officer / Store Officer	3	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
11.	Administrative Officer	118	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
12.	Accounts Officer (Head Quarter 01/ Divisional office 07)	8	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
13.	Cold Chain Officer	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
14.	District Malaria Officer (52) / Biologist (3) / Assistant Entomologist (Malaria-Filaria) (01)	56	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	District Extension and Media Officer / Exhibition Officer / Communication Officer / Health Education Officer / Health Education Instructor / Social Science Instructor	52	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
16.	Publicity Officer / Editor	1	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
17.	Assistant Engineer (Transport) / Assistant Engineer (Store)	2	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
18.	Social Scientist	1	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
19.	Management Instructor	3	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
20.	Assistant Engineer (Civil) (One post for Directorate and seven posts for Divisional office one post for each)	8	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
21.	Senior Physiotherapist	10	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
22.	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination) / Deputy District Extension and Media Officer (Health Education) / Deputy District Extension and Media Officer	76	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 3600
23.	Senior Sanitary Officer	1	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 3600
24.	Senior Personal Assistant	4	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
25.	General Manager (Directorate Level)	1	Class I	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700
26.	Manager (One post for each District Hospital having 500 or more beds)	4	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600
27.	Deputy Manager (One post for each District Hospital having 300 or more beds but less than 500 beds)	28	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
28.	Assistant Manager (One post for each District Hospital (Total 51 posts) and One post for each Civil Hospital (Minimum 100 beds) (Total 31 posts)	82	Class - II	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400

Group – "C" - Nursing Services

S. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director, Health Services (Nursing)	1	Class I	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
2.	Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
3.	Public Health Nursing Officer (19)/ District Public Health Nurse (51+7)/ Public Health Nursing Instructor (3)/ Public Health Nurse Educator (2)	82	Class - II	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal General Nursing Midwife Training Centre (12)	13	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
5.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Training Centre (21)/ Senior Sister Tutor (2)/ Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre (11)	35	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
6.	Nursing Superintendent, Grade – II	43	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200

"SCHEDULE-II
(see rule 6)
Method of Recruitment
Group - "A" - Medical

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment (see rule 6 (1) (a))	By Promotion (see rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (see rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Director	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	5	-	100%	-	-
2.	Additional Director Cadre- Regional Director, Health Service (07 posts)/ Director, State Blood Transfusion Council (01 post)/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS) (01 post)	-Do-	9	-	100%	-	-
3.	Director, State Health and Information, Education and Communication Bureau, Bhopal	-Do-	1	-	100%	-	-
4.	Joint Director Cadre- (A) Chief Medical and Health Officer/ Director, State Institute of Health Management and Communication,	-Do-	73	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Gwalior /Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre. (B) Civil Surgeon cum Chief Superitendent District Hospital	-Do-	57	-	100%	-	-
5.	Leprosy Officer Grade-I	-Do-	7	-	100%	-	-
6.	District Immunisation Officer	-Do-	51	-	100%	-	-
7.	District Health Officer (51) / District Family Planning Officer (48) / Chief Block Medical Officer (313) / District Health and Epidemic Control Officer (20)	-Do-	432	-	100%	-	-
8.	Superintendent Tuberculosis Hospital - (07) / Director Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal - (01)	-Do-	8	-	100%	-	-
9.	Specialist	-Do-	3160	-	100%	-	-
10.	Dental Specialist	-Do-	51	-	100%	-	-
11.	Leprosy Officer Grade-II	-Do-	12	-	100%	-	-
12.	Deputy Director	-Do-	44	-	-	100%	These posts shall be filled by officers working on by posts mentioned at serial number 5 to 11.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Medical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services - Class II	4838	100%	-	-	-
14.	Dental Surgeon	-Do-	159	100%	-	-	-

Group - "B" - Non Medical

S. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [(see rule 6 (1) (a)]	By Promotion [see rule 6 (1) (b)]	By Transfer of persons from other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director (Mass Education and Media)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	1	-	100%	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the deputation from an officer of public relation Department
2.	Joint Director (Planning and Management)	-Do-	1	-	100%	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by deputation from an officer of Finance Department (Directorate of Treasury and Accounts)
3.	Deputy Director (Health Education Bureau)	-Do-	1	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Deputy Director (Planning, Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	-Do-	2	-	100%	-	-
5.	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works)	-Do-	3	-	100%	-	-
6.	Entomologist	-Do-	5	-	100%	-	-
7.	Chief Engineer (Civil)	-Do-	1	-	-	100%	The post shall be filled by Deputation from by officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
8.	Executive Engineer (Civil)	-Do-	1	-	100%	-	If suitable candidate is not available for promotion then post may be filled up by the Deputation of officers from Public Works Department or Rural Engineering Services.
9.	Statistical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted Services-Class II)	7	25%	75%	-	-
10.	Finance Officer / Accounts Officer / Store Officer	-Do-	3	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Administrative Officer	-Do-	118	25%	75%	-	-
12.	Accounts Officer (Head Quarter 01/ Divisional Office 07)	-Do-	8	-	-	100%	By officers from Madhya Pradesh Finance and Accounts Service officers
13.	Cold Chain Officer	-Do-	1	100%	-	-	-
14.	District Malaria Officer (52) / Biologist (3)/ Assistant Entomologist (Malaria-Filaria) (1)	-Do-	56	25%	75%	-	-
15.	District Extension and Media Officer / Exhibition Officer / Communication Officer / Health Education Officer / Health Education Instructor / Social Science Instructor	-Do-	52	20%	80%	-	-
16.	Publicity Officer / Editor	-Do-	1	-	100%	-	-
17.	Assistant Engineer (Transport) / Assistant Engineer (Store)	-Do-	2	-	100%	-	If suitable candidates are not available for promotion then these posts may be filled up by the Deputation from the officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
18.	Social Scientist	-Do-	1	-	100%	-	-
19.	Management Instructor	-Do-	3	100%	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Assistant Engineer (Civil)	-Do-	8	-	100%	-	If suitable candidates are not available for promotion, then the post may be filled up by the Deputation of officers from the officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
21.	Senior Physiotherapist	-Do-	10	-	100%	-	One Post for Each District Hospital (having 400 bed or more)
22.	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination) / Deputy District Extension and Media Officer (Health Education) / Deputy District Extension and Media Officer	-Do-	76	-	100%	-	-
23.	Senior Sanitary Officer	-Do-	1	-	100%	-	-
24.	Senior Personnel Assistant	-Do-	4	-	100%	-	-
25.	General Manager (Directorate Level)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	1	-	100%	-	-
26.	Manager (One post for each District Hospital having 500 or more beds capacity)	-Do-	4	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27.	Deputy Manager (One post for each District Hospital having 300 or more beds capacity but less than 500 beds)	-Do-	28	-	75%	25%	Those Medical Officers who have been sanctioned Senior Grade Scale and possess Post Graduate Degree or Diploma in Public Health and Management or Hospital Management / Administration course are eligible for Deputation
28.	Assistant Manager (One post for each District Hospital (total 51 post) and for Civil Hospital one post (Minimum 100 beds) (Total 31 post)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class II	82	75%	-	25%	Those Medical Officer who possess Post Graduate Degree or Diploma in Public Health and Management or Hospital Management / Administration course are eligible for Deputation.

Group - "C" - Nursing Service

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [see rule 6 (1) (a)]	By Promotion [see rule 6 (1) (b)]	By Transfer of persons from other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Deputy Director, Health Services (Nursing)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	1	-	100%	-	-
2.	Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain	-Do-	1	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Public Health Nursing Officer (19)/ District Public Health Nurse (51+7)/ Public Health Nursing Instructor (3)/ Public Health Nurse Educator (2)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class II	82	25%	75%	-	-
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal General Nursing Midwife Training Centre (12)	-Do-	13	-	100%	-	-
5.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Training Centre (21)/ Senior Sister Tutor (2)/ Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre (11)	-Do-	35	-	100%	-	-
6.	Nursing Superintendent Grade - II	-Do-	43	-	100%	-	-

SCHEDULE-III
(see rule 8)
Age and Qualification of persons being directly recruited
Group - "A" - Medical

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Medical Officer	21 years	40 years	MBBS or equivalent qualification recognised by Medical Council of India.	-
2.	Dental Surgeon	21 years	40 years	BDS Degree or any equivalent degree from a recognised university.	-

Group - "B" - Non-Medical

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Statistical Officer	21 years	40 years	M.A. (Statistics) Preferably Ph.D/ Diploma in Health Statistics	-
2.	Administrative Officer	25 years	40 years	Graduate with 5 years supervisory experience and Preference shall be given to accounts training (SAS) qualified candidates.	-
3.	Cold Chain Officer	21 years	40 years	A University Degree in Mechanical or Refrigeration Engineering with one year experience or Diploma in Refrigeration Engineering in maintenance and operation of Refrigeration equipments.	-
4.	District Malaria Officer/ Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Filaria)	21 years	40 years	M.Sc. (Zoology), preference shall be given to M.Sc. (Entomology)	-
5.	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor	21 years	40 years	M.A. in Sociology, preference shall be given to a Diploma holder in Health Education/ Diploma in Journalism from Indian Institute of Mass Communication.	-
6.	Management Instructor	21 years	40 years	Post Graduation Degree in Public Administration/ Business Administration from a recognized University, preference shall be given to candidates having teaching and supervisory experience.	-
7.	Assistant Manager	21 years	40 years	Post Graduation degree in Public Health Management or Hospital Management / Administration from a recognized University.	-

Group - "C" - Nursing Services

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator	28 years	40 years	B.Sc. (Nursing) or Certificate in Public Health Nursing from any recognized Institution. Ten years experience in Nursing Services.	-

SCHEDULE-IV
(See rule 13 and 14)
**SERVICE EXPERIENCE FOR PROMOTION AND MEMBER OF DEPARTMENTAL
PROMOTION COMMITTEE**
Group - "A" - Medical

Sr. No.	Name of post or Service from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Essential qualification, if any and other experience of the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Regional Director, Health Services / Director, State Blood Transfusion Council/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS)	Director	Three years	1. Chief Secretary - Chairman 2. A Senior Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Government nominated by the Chief Secretary - Member 3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 4. Additional Secretary/ Deputy Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member
2.	Chief Medical and Health Officer/ Civil Surgeon-cum-Chief Superintendent, District Hospital / Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior/ Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre.	Regional Director, Health Services / Director, State Blood Transfusion Council/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS)	Five years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services- Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	District Health Officer / District Family Planning Officer / Chief Block Medical Officer / District Health and Epidemic Control Officer / Superintendent, Tuberculosis Hospital / Director, Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal / District Immunisation Officer / Leprosy Officer Grade-2	Chief Medical and Health Officer/ Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior/ Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre. (25% Post Promotion from Specialist remaining 75% Post from persons appointed in posts shown in Column (2) of Serial No. 3.	Five years	----Do----
4.	Specialist	Civil Surgeon-cum-Chief Superintendent, District Hospital	Five years	----Do----
5.	Leprosy Officer Grade-2	Leprosy Officer Grade-1	6 years experience in leprosy work	----Do----
6.	Medical Officer	District Immunisation Officer	Five years experience as medical officer after obtaining Post Graduate degree in Pediatrics or Preventive and Social Medicine or Seven years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Diploma in Pediatrics or Preventive and Social Medicine.	----Do----
7.	Medical Officer	District Health Officer/ District Family Welfare Officer/Chief Block Medical Officer/ District Health and Epidemic Control Officer	Ten years	----Do----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Medical Officer	Superintendent, T.B. Hospital / Director, Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal	Five years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Degree in Chest disease or seven years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Diploma in Tuberculosis and chest disease.	----Do----
9.	Medical Officer	Specialist	Three years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Degree in Speciality or Five years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Diploma in speciality from a recognised university.	----Do----
10.	Dental Surgeon	Dental Specialist	Five years experience as Dental Surgeon after obtaining Post Graduate Degree (M.D.S.) or ten years experience as Dental Surgeon.	----Do----
11.	Medical Officer	Leprosy Officer Grade-2	6 years experience in leprosy work	----Do----

Group - "B" - Non-Medical

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director (Health Education Bureau)	Joint Director (Mass Education and Media)	Five years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member
2.	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works) / Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	Joint Director (Planning and Management)	Five years	---Do---
3.	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor	Deputy Director, Health Services (Health Education Bureau)	Five years	---Do---
4.	Statistical Officer	Deputy Director (Planning, Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	Five years	---Do---
5.	Administrative Officer/ Accounts Officer/ Store Officer	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal Works)	Five years	---Do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	District Malaria Officer/ Biologist/ Assistant Entomologist (Malaria Filaria)	Entomologist	Five years	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary Principal Secretary Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services-Member
7.	Assistant Statistical Officer (Class III Service)	Statistical Officer	Five years	---Do---
8.	Store Inspection Officer/ Superintendent / Junior Accounts Officer/ Senior Auditor (Directorate)/ Assistant Superintendent/ Assistant Grade- I(Directorate)/ Senior Auditor (Divisional)/Junior Auditor (Directorate). Manager Medical Store/ Camp Co-ordinator/ Assistant Statical Officer/ Senior Personal Assistant (Class III Service)	Administrative Officer/ Finance Officer / Accounts Officer/ Store Officer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Five years experience on the post of Store Inspection Officer/ Superintendent/ Junior Accounts Officer 2. Five years experience on the post of Assistant Superintendent/ Senior Auditor (Directorate) /Assistant Statistical Officer 3. Five years experience on the post of Assistant Grade-I/ Senior Auditor (Divisional)/ Manager Medical Store/ Junior Auditor (Directorate) Camp Coordinator. 4. Five years experience on the post of Senior Personal Assistant. <p>Note- 5 Posts of Administrative Officer shall be filled by promotion of Assistant Statistical Officer and 1 post shall be filled by the promotion of Senior Personnel Assistant.</p>	---Do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Assistant Malaria Officer (Class III Service)	District Malaria Officer / Biologist / Assistant Entomologist (Malaria- Filaria)	Five years (Graduate in Science)	---Do---
10.	(1) Deputy District Extension and Media Officer/ Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/ Deputy District Extension and Media Officer (Co- ordination) (2) Assistant Statistical Officer	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor Note:- 5 Post of District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer / Health Education Instructor/ Social Science Instructor shall be filled by promotion of Assistant Statistical Officer, who hold Post Graduate Degree in Sociology.	Five years	---Do---
11.	Publicity Assistant/ Sub- Editor (Class III Service)	Publicity Officer/ Editor	Five years	---Do---
12.	Sub-Engineer Technical (Class-III Service)	Assistant Engineer Transport/ Assistant Engineer (Stores)	Five years	---Do---
13.	Medico Social Worker (Class-III Service)	Social Scientist	Five years	---Do---
14.	Physiotherapist (Class Three Service)	Senior Physiotherapist	1. Five Years service on the Post of Physiotherapist 2. Bachelor of Physiotherapy. (BPT) 3. Registration in Madhya Pradesh Paramedical Council.	---Do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Block Educator/ Education Officer (Service)	Extension Health Extension (Class-III)	Deputy District Extension Media Officer (Health Education)/ Deputy District Extension Media Officer (Co-ordination)	Six years ---Do---
16.	Community Officer (Service)	Health (Class-III)	Senior Sanitary Officer	Five years ---Do---
17.	Assistant Engineer (Civil)	Executive Engineer (Civil)	Executive Engineer (Civil)	Six years ---Do---
18.	Sub Engineer (Civil)	Assistant Engineer (Civil)	Assistant Engineer (Civil)	(1) Eight years experience (for Degree holder) (2) Twelve years experience (for Diploma holder) ---Do---
19.	Personal Assistant	Senior Personal Assistant	Senior Personal Assistant	Five years 1. Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Chairman 2. Commissioner, Health Services - Member 3. Director - Member
20.	Manager	General Manager	General Manager	Five year's Service on the post of Manager 1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by Him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member
21.	Deputy Manager	Manager	Manager	Five year's Service on the post of Deputy Manager ---Do---
22.	Assistant Manager	Deputy Manager	Deputy Manager	Five years Service on the post of Assistant Manager ---Do---

Group - "C" - Nursing Services

1.	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator/ Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior	Deputy Director, Health Services (Nursing)/ Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain	1. Five years experience on any of post shown in column (2) for Deputy Director, Health Services (Nursing) 2. For Principal Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain in addition to above, degree in B.Sc. (Nursing), Preference shall be given to the candidate who possesses post graduate degree in Nursing.	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services Member
2.	Senior Sister Tutor/ Nursing Superintendent Grade-II/ Principal LHV Training Centre/ Principal, Female Health Worker Training Centre.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior / Principal, General Nursing Midwife Training Centre	B.Sc. (Nursing) or Public Health (Nursing) Diploma and Five years teaching experience.	---Do---
3.	(A) Senior Sister Tutor/ Principal, Lady Health Visitor Training Centre, Jabalpur / Principal, Female Health Worker Training Centre (Class II Service) (B) Public Health Tutor / Sister Tutor (Class III Service)	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator.	1. B.Sc. (Nursing) degree or Diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration 2. Five years experience on the post of Senior Sister Tutor/ Principal Promotee Centre / Principal Female Health Worker Training Centre 3. Five year experience for Public Health Tutor/ Sister Tutor	---Do---
4.	Sister Tutor/ Public Health Tutor (Class III Service)	Principal, Lady Health Visitor Training Centre / Principal Female Health Worker Training Centre.	Five years experience, only those Public Health Tutor/ Sister Tutor shall be eligible who possess B.Sc. (Nursing) degree or diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration.	---Do---
5.	Matron	Nursing Superintendent Grade-II	Five years	---Do---
6.	Sister Tutor (Class III Service)	Senior Sister Tutor	Five years	---Do---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूरज डामोर, सचिव.